

**Committee on Steel workers' problems**

5280. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to State :

(a) the changes made by Review Committee for steel workers' problems; and

(b) the names of members of the Committee ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) :

(a) and (b). No Review Committee for steel workers' problems as such has been appointed. However, six Working Groups consisting of representatives of Steel Plants' Managements and Trade Unions have been constituted to study various aspects of the working of the steel industry as indicated below and to make available to Government their recommendations/suggestions for its improved functioning :—

- (i) Production and productivity.
- (ii) Workers participation at all levels.
- (iii) Welfare and social objectives.
- (iv) Marketing, pricing and finance.
- (v) Modalities of having one Union for each plant and one Union for the steel industry at the national level.
- (vi) Perspective of expansion of steel plants and setting up of new steel plants on the basis of funds obtained from outside.

संचार मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5281. श्री राम बिलास पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :

(क)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	45	12
समूह ख	327	18
समूह ग	46,487	11,835
समूह घ	18,264	4,182

(ख) आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सभी तरह के उपाय किये जाते हैं।

जब कभी किसी ग्रेड में भर्ती होती है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली स्थानों की सूचना केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों सहित संघ लोक सेवा आयोग/रोजगार कार्यालयों, जैसी भी स्थिति हो, को दी जाती है अथवा विज्ञापन दिया जाता है। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्याविधि के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों का नाम भेजने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मान्यता प्राप्त संघों और संगठनों को भी सूचित किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का "रोस्टर" बाकायदा रखा जाता है।

**Technical and Financial Collaboration Agreement with U.S.**

5282. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether on the initiative of the previous Government, our telephone